उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-31/2016/एस-2-2145/दस-2016-88क(1)/2016

लखनऊ :: दिनॉक:: 24 नवम्बर, 2016

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारियों को जनहित में उनके वर्तमान पद एवं स्थान से तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-3 में अंकित पद व स्थान पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान, जहॉ स्थानान्तरित करके तैनात किया गया
1	2	3
1	श्री ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव, अपर आयुक्त (वित्त) कार्यालय ग्राम्य विकास आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।	विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2	श्रीमती रागिनी सिंह, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ।
3	श्रीमती नीलम सिंह, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।	वित्त विश्लेषक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, लखीमपुरखीरी।	वरिष्ठ सम्भागीय लेखाधिकारी (खाद्य) सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ।

2- उक्त स्थानान्तरण से रिक्त हो रहे अपर आयुक्त (वित्त) कार्यालय ग्राम्य विकास आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री ज्ञानपाल सिंह, वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उ0प्र0 लखनऊ को तथा वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री राम कृष्ण अवस्थी, वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को बिना किसी अतिरिक्त वेतन भत्ते के, प्रदान किया जाता है।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanades.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- उक्त स्थानान्तरित अधिकारी अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अपने वर्तमान पद व स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर अपने नवीन तैनाती के पद व स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4- स्थानान्तरित अधिकारियों का जो भी अगले माह का वेतन होगा, वह उसकी पूर्व तैनाती के स्थान से आहरित नहीं होगा।

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-31/2016/ एस-2-2145(1)/दस-2016, तददिनॉक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा/ग्राम्य विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/खादी एवं ग्रामोद्योग/नगर विकास/खाद्य एवं रसद, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त, ग्राम्य विकास/ खाद्य एवं रसद विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, जल निगम उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग उ0प्र0 लखनऊ।
5- परियोजना निदेशक, सर्वशिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
8- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
9- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
10- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
11- सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ।
12- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
13- मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, (जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट)लखनऊ/लखीमपुरखीरी।
14- वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
15- संबंधित अधिकारीगण।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanades.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।